18.07.2024	पत्रावली आदेश हेतु प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलान्ट उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन/विश्लेषण किया गया। रणजीतकौर पुत्री स्व. सज्जनसिह के द्वारा जिला कलक्टर अनूपगढ को गुरदयालसिह पुत्र सज्जनसिह के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने के संबध में एक प्रार्थना पत्र लिखा गया। उक्त प्रार्थना पत्र जन सुनवाई में प्रस्तुत किया गया था जिस पर संबधित अधिकारी द्वारा मार्किग कर दिनांक 08.07.2024 को निर्देश प्रदान किया जाना प्रतिवेदित हुआ है। उक्त मार्किग दिनांक 08.07.2024 के विरूद्ध सीधे इस न्यायालय में अपील पेश की गई है। अपील का क्षेत्राधिकार के संबध में परीक्षण किया गया। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा यह अपील धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश की गई है। हमने भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 का अवलोकन किया। संभागीय आयुक्त/अति.संभागीय आयुक्त न्यायालय को भू–अभिलेख निदेशक की शक्तिया प्रदत्त है, जिसमे धारा 75–एफ के अन्तर्गत प्रथम अपील प्रस्तुत करने का निम्नप्रकार से प्रावधान दिया हुआ है। First Appeals Section 75 to the Director of Land Records From an original order Passed by a Land Records Officer in matters connected With land records, ... लगातार.................. अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर

अभिभाषक अपीलान्ट प्रार्थना पत्र पर की गई मार्किग दिनांक 08.07.2024 को अपील का आधार बनाया है जो कि जन सुनवाई मे प्रार्थना पत्र पर दिया गया एक प्रशासनिक आदेश है। अर्थात यह किसी न्यायालय के द्वारा पारित किया गया आदेश की श्रेणी में नही आता है। उक्त विवेचन व विश्लेषण के मध्यनजर इस न्यायालय में एल आर एक्ट की धारा 75 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी यह अपील संधारण योग्य नही होने के कारण खारिज की जाती है। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश आज दिनांक 18.07.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर